न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः– प्रकाश राजपुरोहित

प्रकरण संख्याः– 06/2018

महावीर पुत्र श्री मुंशी राम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.ए सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र राजू जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. पृथ्वी पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. सरस्वती पत्नी रधुवीर जाति जाट निवासी लुदेसर जिला सिरसा।
5. रामेश्वरी पत्नी बहादुर जाति जाट निवासी लुदेसर जिला सिरसा।
6. बिमला पत्नी पालाराम जाति जाट निवासी गिगोरानी जिला सिरसा।
7. सेधा पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी गिगोरानी जिला सिरसा।
8. बिमला पत्नी पालाराम जाति जाट निवासी गिगोरानी जिला सिरसा।
9. मला वल्द राजू जाति जाट निवासी मलेखडा तहसील भादरा।

––अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ए. बाबत
पत्रावली अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

उपस्थितिः–1.श्री रामकुमार कस्वां वकील प्रार्थी
2.श्री सोहनलाल सहारण राजकीय अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या–1
3.श्री बंशीलाल एवं श्री धीर सिंह बराड
वकील अप्रार्थी संख्या– 2

आदेश दिनांकः–20.04.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 कोलोनाईजेशन जनरल कण्डीशन एक्ट व धारा 251क आर.टी.एक्ट. सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी महोदय भादरा में बअनुवानी महेन्द्र बनाम महावीर आदि प्रकरण संख्या 66/16 प्रस्तुत किया हुआ है जो अभी विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने निवेदन किया था कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 8 की कृषि भूमि चक 12 ए.एम.एस के खाता संख्या 67/60 के मुरब्बा नं0 22 के किला नं0 3 में उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व 0.013 है0 व प्रार्थी की स्वयं की कृषि भूमि उक्त मुरब्बा नं0 व किला नम्बर 8 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.013 है0 व अप्रार्थी संख्या 8 की कृषि भूमि मुरब्बा नं0 22 के किला नम्बर 13, 18, 23 में पश्चिम दिशा में उत्तर में दक्षिण प्रत्येक किले में 0.013 है0 व किला नम्बर 22 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.07 है0 रास्ता मन्जूर कर स्वीकृत किये जाने का सादिर आदेश फरमावे। जिसका प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 2 को उसकी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता मौजूद है कोई भी नया रास्ता काश्तकार की सुविधा अनुसार स्वीकृत नही किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खाता के समस्त काश्तकारो को भी प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है व प्रार्थी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वो विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पत्रावली तारीख 13.03.2018 से पेण्डिग रखी हुई है इसके बाद आगे कोई तारीख निश्चित नही की है व मौखिक रूप से आदेश दिया है कि पत्रावली में बहस करो मैं तो निर्णय दिनांक 13.03.2018 की तारीख लगा कर ही करूंगा। प्रार्थी को पता चला है कि अप्रार्थी संख्या–2 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है जो स्थानीय विधायक संजीव बैनीवाल के नजदीकी व्यक्ति है। जिनसे अप्रार्थी संख्या 1 पर निरन्तर दबाव डालकर प्रार्थना पत्र का निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या–1 स्थानीय विधायक संजीव बैनीवाल के दबाव में आकर प्रार्थना पत्र का निर्णय प्रार्थी के खिलाफ करने पर उतारू हैं।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी ने मुझ प्रार्थी को स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप चाहे जो कुछ करो फैसला संजीव बैनीवाल के कहे अनुसार ही करूंगा जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है तथा अप्रार्थी संख्या–2 प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी भादरा मेरे कहने अनुसार ही निर्णय पारित करेंगे ऐसी सूरत में अप्रार्थी संख्या–1 से प्रार्थी को न्याय मिलने व सही निर्णय होने की संभावना नही है यदि अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 अपने इस अनुचित मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को पूर्णीय क्षति होगी तथा न्याय से वंचित हो जायेगा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 8 जो मूल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण है आज उनके उपस्थित नही आने के कारण बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है वे चाहे तो इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी बन सकते है। अप्रार्थी संख्या–1 के न्यायालय में प्रकरण संख्या 66/16 अनवानी महेन्द्र बनाम महावीर आदि अन्यत्र सम्बन्धित राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। उपखण्डाधिकारी भादरा को टिप्पणी भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 उपस्थित नही।

अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को दिनांक 13.03.2018 से पेण्डिंग रखते हुए आगे कोई तारीख निश्चित नही की है और कहा की बहस करो मैं तो इसमें निर्णय करूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है और स्थानीय विधायक का नजदीकी व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पर स्थानीय विधायक का दबाव डलवाकर प्रश्नगत प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या–1 स्थानीय विधायक के दबाव में आकर प्रश्नगत प्रकरण का निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध करने पर उतारू हैं। विचारणिय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्णय स्थानीय विधायक के कहे अनुसार ही करूंगा। अप्रार्थी संख्या–2 प्रार्थी को धमकी दे रहा है कि उपखण्डाधिकारी भादरा प्रश्नगत प्रकण में निर्णय हमारे कहे अनुसार ही करेगा। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। अतः विचारणिय नयायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध जो तथ्य अंकित किये है वे असत्य तथा निराधार है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत प्रकरण प्रार्थी के साक्ष्य हेतु विचाराधीन है। प्रार्थी प्रश्नंगत प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भादरा

वकील अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध ही आरोप लगाये गये है। अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई आरोप अंकित नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध जो अरोप अंकित किये गये है वे मिथ्या व निराधार है। विचाराणीय न्यायालय में प्रश्नगत प्रकरण प्रार्थी के साक्ष्य हेतु विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 को आने जाने में असुविधा हो रही है। प्रार्थी प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी भादरा के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने के संबंध में है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध आरोप अंकित किये गये है। अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 के विरूद्ध कोई आरोप प्रार्थना पत्र में अंकित नही होना पाये गये। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी भादरा के जबाव का अवलोकन करने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उनके विरूद्ध जो तथ्य अंकित किये गये वे असत्य होना पाये गये है तथा प्रश्नगत प्रकरण प्रार्थी के साक्ष्य हेतु विचाराधीन होना पाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध जो तथ्य अंकित किये गये है इनके संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। उक्त विवेचनानुसार उपखण्ड अधिकारी भादरा के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के स्थानान्तरण के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नही समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी भादरा को यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रकिया को अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी भादरा को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनाक 20.04.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy Not Official